

२५^९/_{२५}

वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित
नहीं। वादीगण व वादीगण अधिवक्ता
को रुक-र कर उबार आवाज
लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं
आया। वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत
धारा 53, 88, 91, RPA अदम पेशी अदम
हाजरी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली निर्णित होकर गम्बरू से
कम होकर वापिस रफूतार हो।



सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्री गंगा नगर)